राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– एफ.20 (I–10)/आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजभूस/2011–12/2164–2205 दिनांकः 26/2/13

परिपत्र

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना अन्तर्गत प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा राज्य को नवीन जलग्रहण परियोजनाओं हेतु क्षेत्रफल आंवटित किया जाता है तथा तदुत्पश्चात जिलो द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 बिन्दुओं के आधार पर ब्लॉकवार तैयार की गई प्राथमिकता सूची के आधार पर प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन (पी.पी.आर.) तैयार कर प्रेषित की जाती है।

पूर्व में जिलो द्वारा आंवटित क्षेत्रफल के विरूद्ध पंचायत समितिवार स्वयं प्राथमिकता तय कर पी.पी.आर. प्रेषित की जाती थी। आगामी वर्षो में किसी एक ब्लॉक में अधिक तथा दूसरे ब्लॉक में कम परियोजनाएँ स्वीकृत ना हो अपितु सभी ब्लॉक में समान रूप से परियोजनाएँ स्वीकृत हो पाएं इस हेतु जिलों को निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर पंचायत समिति की प्राथमिकता तय कर पी0पी0आर0 भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है :

1. सर्वप्रथम समस्त पंचायत समिति को भारत सरकार द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने हेतु निर्धारित 13 बिन्दुओं में से प्रथम बिन्दु (बीपीएल प्रतिशत) के क्रम में अधिक से कम रखते हुए पंचायत समिति की वरीयता सूची तैयार करें।
2. जिन पंचायत समितियों में पूर्व में कोई भी आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है, उनमें परियोजना आवश्यक रूप से ली जावें।
3. इस प्रकार जिले की समस्त पंचायत समितियों में परियोजनाएँ ली जावें कि सभी पंचायत समितियों में समान क्षेत्रफल/परियोजनाएँ हो जावें।
4. पंचायत समितियों में समान परियोजना होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 बिन्दुओं में से प्रथम बिन्दु (बीपीएल प्रतिशत) के अनुरूप जिस पंचायत समिति में बी.पी.एल. का प्रतिशत अधिक है उस पंचायत समिति में परियोजना लिये जाने को प्राथमिकता दी जावे।

अतः भविष्य में जिलो द्वारा पंचायत समिति की प्राथमिकता उपरोक्तानुसार निर्धारित कर आंवटित किये गये क्षेत्रफल अनुसार ही पी.पी.आर. प्रेषित की जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक

प्रतिलिपिः–

क्रमांकः– एफ.20 (I–10)/आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजभूस/2011–12/2164–2205 दिनांकः 26/2/13

1. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक /P.O.(I.R), निदेशालय, जयपुर।
3. समस्त परियोजना प्रबन्धक (WCDC) एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन) जिला परिषद.....
4. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड़ करायें।

निदेशक